

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2017/621

दिनांक : 24/08/17

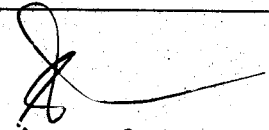
--: संक्षिप्त विज्ञप्ति ::--

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूलों में सत्र 2017-18 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिनांक 29.08.2017 (प्रातः 10:00 बजे) से 20.09.2017 (मध्यरात्रि) तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1.	शैक्षणिक योग्यता	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से व अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष सीनियर सैकेण्ड्री परीक्षा नई स्कीम (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फीजिक्स, कैमेस्ट्री व बायोलोजी विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देय होगी। यदि उपरोक्त योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग/श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगे, तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु ही, अन्य विषय वर्ग उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों लिए 40 प्रतिशत (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत) न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है (अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति, यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो दोनों परीक्षाओं (मुख्य व पूरक) की, अंक तालिकाएं ऑनलाईन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करें)।
2.	आयु (31.12.2017 को)	दिनांक 31.12.2017 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (पुरुषों हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं 34 वर्ष (महिलाओं हेतु) एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। विभागीय कोटे के अभ्यर्थियों में नियमित (स्थायी) कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष एवं अन्य विभागीय कोटे के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है।
3.	सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या/संस्थाओं की संख्या (परिवर्तनीय) है। राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूलों की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउन्सलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
4.	आरक्षण	प्रशिक्षण में आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
5.	महिला/पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या का अनुपात	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सभी राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के प्रवेश/चयन का अनुपात 80:20 होगा। किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं पुरुष अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों से सीटें भरी जावेगी।
6.	पाठ्यक्रम की अवधि	3 वर्ष - जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है।
7.	शिक्षण शुल्क	राजकीय प्रशिक्षण स्कूल 180/- रुपये वार्षिक। निजी प्रशिक्षण स्कूल 50,000/- रुपये वार्षिक।
8.	चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् तैयार की गई राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाईन काउंसलिंग के पश्चात् योग्य पाये गये अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पानुसार इच्छित प्रशिक्षण केन्द्र में रिक्त सीटों पर वरीयतानुसार प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन किया जावेगा।
9.	आवेदन शुल्क	सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 200/- रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी को 100/- रुपये की फीस ई मित्र/सीएससी नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी जमा कराया जा सकता है।

10.	आवेदन पत्र	आवेदन पत्र ई मित्र/सीएससी नेटवर्क पर एवं विभागीय वैबसाईट के माध्यम से भरे जा सकते हैं।
11.	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प्रशि./जीएनएम/जी-88 (पार्ट-1)/2017/622

दिनांक: 24/08/17

--: विस्तृत विज्ञप्ति ::--

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति)

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय/निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों में सत्र 2017-18 हेतु प्रारम्भ होने वाले जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (तीन वर्ष - जिसमें छः माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है) में प्रवेश हेतु योग्य महिला/पुरुष अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने की दिनांक 29.08.2017 (प्रातः 10:00 बजे) से 20.09.2017 (मध्यरात्रि) तक निर्धारित हैं। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 200/- रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 100/- रुपये की फीस ई मित्र/सीएससी नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी उक्त शुल्क जमा कराया जा सकता है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स हेतु आवेदन एवं प्रवेश की शर्तों का विवरण निम्नानुसार है :-

(A.) शैक्षणिक योग्यता :-

- वर्तमान में आईएनसी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यूनतम योग्यता 10 + 2 होगी। विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण) के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता देय होगी। यदि जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य विषय वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी जाति वर्ग में जीव विज्ञान विषय वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अन्य विषय वर्ग के उसी वर्ग के प्रत्याशी प्रवेश के पात्र होंगे। (सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य हैं।)

(B.) आयु (31.12.2017 को संदर्भ मानकर गणना की जावेगी।) :-

- दिनांक 31.12.2017 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (पुरुषों हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं 34 वर्ष (महिलाओं हेतु) निर्धारित है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। (जन्म तिथि के प्रमाण हेतु सैकेण्डरी उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका/ प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करनी होगी।)
- विभागीय कोटे में नियमित (स्थायी) अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी किन्तु नियमित (स्थायी) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- विभागीय कोटे में प्रशिक्षण के लिए चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम)/अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 110 के परिप्रेक्ष्य में निदेशालय के आदेश क्रमांक : ई-18/एम/ / 2016/1829 दिनांक 23.08.2016 के अनुसार अध्ययन अवकाश देय होगा। अन्य कार्मिकों को नियमानुसार उपार्जित/अर्द्धवैतनिक/असाधारण अवकाश (ई.ओ.एल.) स्वीकृत कराना होगा।

(C.) अन्य सामान्य जानकारी :-

- जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि एवं पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप तीन वर्ष - जिसमें छः माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है।
- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 534/05 द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरा बनाम फिरदोस तरन्नुम में दिनांक 20.01.2006 को पारित निर्णय की पालना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक : मान्यता/ईक्यू/1045 दिनांक 05.07.2011 एवं पत्रांक 2042 दिनांक 17.11.2011 के क्रम में राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 586 दिनांक 18.07.2014 के अनुमोदनानुसार जामिया उर्दु अलीगढ़ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।

3. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों का एक प्रशिक्षण केन्द्र से अन्य प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
4. प्रशिक्षण हेतु महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों का चयन 80:20 अनुपात में होगा। किसी वर्ग/श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी वर्ग/श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश देय होगा।
5. प्रशिक्षण में चयन हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अतः राजकीय/निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु एक ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना होगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जाकर आरक्षण के वर्गवार राजकीय/निजी संस्था में उपलब्ध रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर आवंटन किया जावेगा। राजकीय नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु 180/- रुपये एवं निजी क्षेत्र में संचालित निजी नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु फीस पेटे 10,000/- रुपये अग्रिम राशि बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर के खाता संख्या 14630100006718 में पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा कराना अनिवार्य है। जिसकी प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउंसलिंग के पूर्व विकल्प पत्र के साथ-साथ विभागीय वेबसाइट पर स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। उसके पश्चात् ही अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउंसलिंग में प्रवेश देय होगा। इसका समायोजन फीस की राशि में कर दिया जावेगा।
6. अभ्यर्थी को राजकीय काउंसलिंग से राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल आवंटन होने पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेगा/ किसी कारणवश प्रशिक्षण केन्द्र को छोड़ देता है अथवा आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर किसी भी कारणवश अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा फीस पेटे जमा 180/- अथवा 10,000/- रुपये अग्रिम राशि जब्त कर राजकोष में जमा करा दी जावेगी।
7. अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण में ज्वॉइनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में पुनः आवेदन किये बिना, प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा बशर्ते की अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तों की पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो।
8. सत्र आरम्भ होने की सम्भावित माह अक्टूबर, 2017 है।
9. नर्सिंग स्कूलों की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जावेगी। जो समय-समय पर परिवर्तनीय है।

(D.) काउंसलिंग :-

1. राजकीय सेवा में कार्यरत स्थायी विभागीय कर्मचारियों को राजकीय काउंसलिंग के माध्यम से ही आवंटन किया जावेगा। प्राइवेट फैंडरेशन के द्वारा विभागीय कोटे के कर्मचारियों को प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन नहीं किया जावेगा।
2. प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग की सूचना (विस्तृत कार्यक्रम) विभागीय वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in/नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी। इसमें राजकीय/निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों की सूची उपलब्ध करा दी जावेगी। अभ्यर्थी अपना विकल्प पत्र विभागीय वेबसाइट पर जारी नर्सिंग स्कूलों की उपलब्ध सूची के आधार पर ऑनलाईन भरकर प्रस्तुत करेगा। इस हेतु राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर आरक्षण की श्रेणीवार चार गुणा अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा उनके द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नं० पर सूचित कर दिया जायेगा।
3. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन ऑनलाईन काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी की राज्य स्तरीय मेरिट एवं अभ्यर्थी के ऑनलाईन दिये गये विकल्प के आधार पर किया जावेगा। अभ्यर्थियों को अपनी रुचि/वरीयता के प्रशिक्षण केन्द्रों को दर्शाते हुए विकल्प पत्र ऑनलाईन काउंसलिंग के जरिये ही भरकर प्रस्तुत करना होगा। तदनुसार ही अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जावेगा।
4. राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूलों की प्रथम काउंसलिंग के बाद प्रवेशित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना राजकीय/संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल को निर्धारित तिथि2017 के पश्चात् तत्परता से तुरन्त निदेशालय को उपलब्ध करानी होगी। यदि उपस्थित अभ्यर्थियों की सूचना किसी संस्थान द्वारा नहीं दी गई या सूचना देने में विलम्ब किया गया हो तो ऐसी राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूलों में अभ्यर्थी आवंटन नहीं होने के फलस्वरूप रिक्त रहने वाली सीटों के लिये राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल का स्वयं का दायित्व होगा एवं आगामी काउंसलिंग में उस नर्सिंग स्कूल को सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
5. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र/ विभाग में कार्यरत होने के निर्धारित प्रमाण पत्र/ जाति प्रमाण पत्र /अंकतालिका आदि उनके नर्सिंग स्कूलों में ही रहेंगे और इनका संबंधित बोर्ड/

संस्थान से सत्यापन करा लिये जाने के बाद ही लौटाया जा सकेगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई दस्तावेज फर्जी पाया जायेगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुए उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(E.) विभागीय सेवारत कर्मचारी :-

राजकीय/निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए राज्य सेवा में कार्यरत स्थायी विभागीय कर्मचारियों के लिए योग्यताएं/शर्तें निम्न प्रकार है :-

1. उच्च अध्ययन करने के इच्छुक कर्मचारियों को विभाग द्वारा पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
2. योग्यताधारी विभागीय कर्मचारी भी निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करेंगे।
3. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 8 (6) चि./ग्रुप-3/88 दिनांक 14.10.1997 के प्रावधानानुसार एवं भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी), नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधित गाईडलाईन के अनुसार विभागीय कर्मचारी की आयु दिनांक 31.12.2017 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5 (5) चि.स्वा.-3/93 पार्ट दिनांक 01.01.2000 के प्रावधानानुसार विभाग में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएनएम) के लिए जीएनएम प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आवेदनकर्ता को उक्त प्रमाण पत्र/ आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदनकर्ता (विभागीय सेवारत कर्मचारी) की उक्त विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक नियमित (स्थायी) कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई है। विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण में प्रवेश से पूर्व सक्षम स्तर से ली गई अनुमति का प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ स्कैन करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित होने पर विभागीय कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम 1958 के नियम 110 के परिप्रेक्ष्य में निदेशालय के आदेश क्रमांक : ई-18/एम/2016/1829 दिनांक 23.08.2016 के अनुसार नियमानुसार अवकाश देय होगा।
6. विभाग में संविदा (Contract)/UTB/समेकित वेतन (Fixed Pay) पर कार्यरत कर्मचारी को विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(F.) आरक्षण :-

1. प्रशिक्षण में आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
2. निःशक्त अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत आरक्षण (एक पैर से विकलांग - One Leg) विकलांग श्रेणी में होरिजेण्टल/वरीयता के आधार पर देय होगा। 40 प्रतिशत से कम निःशक्तता होने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, निःशक्तता प्रमाण पत्र तीन वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना ना हो। अभ्यर्थी का नॉन किमीलेयर का प्रमाण पत्र छः माह से पुराना ना हो। (सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करें।)
3. राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाडा की सभी सीटें जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है।
4. जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के एसटी-टीएसपी, एससी-टीएसपी को राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में नियमानुसार आरक्षण देय होगा। राज्य सरकार कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के निर्देशानुसार अनुसूचित खण्डों के स्थानीय जनजातिय अभ्यर्थियों का 45 प्रतिशत तथा स्थानीय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का 5 प्रतिशत आरक्षण होगा तथा अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत सीटों पर किसी भी जाति/वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता कम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो। इसके लिए अभ्यर्थियों को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जनजातिय उपयोजना क्षेत्र के सक्षम अधिकारी से जारी स्कैन कर अपलोड करना होगा।
(नोट :- जनजाति विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में किया जाने वाला परिवर्तन मान्य होगा।)
5. बारां जिले के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में नियमानुसार आरक्षण देय होगा। इसके लिए बारां जिले के सहरिया अभ्यर्थियों को सक्षम स्तर से जारी बारां जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र भी स्कैन कर अपलोड करना होगा।
6. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5 (330) चिस्वा./ग्रुप-3/97 दिनांक 26.11.2002 के प्रावधानानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों (सभी संवर्गों) को

प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ होरिजेन्टल बेसिस पर वरीयता के आधार पर दिया जावेगा।

(नोट:- क.सं. (E) में उल्लेखित विभागीय कर्मचारी तथा कम संख्या एफ (2) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर प्रशिक्षण की सीटों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा)

(G) आवेदक द्वारा शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग) से शुल्क जमा करा सकते हैं। जिसकी रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त होगी।
2. ई-मित्र जो राजस्थान सरकार से अधिकृत हो के माध्यम से शुल्क जमा कर रसीद प्राप्त कर लेवे।
3. शुल्क स्ट्रक्चर

माध्यम	एससी/एसटी	सामान्य/ओबीसी
ई मित्र	शुल्क 100/- + 32/- फार्म चार्ज	शुल्क 200/- + 32/- फार्म चार्ज
पेमेन्ट गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड)	शुल्क 100/- बैंक चार्ज (+20/- + जीएसटी)	शुल्क 200/- बैंक चार्ज (+20/- + जीएसटी)
पेमेन्ट गेटवे (नेट बैंकिंग)	शुल्क 100/- बैंक चार्ज (+10/- + जीएसटी)	शुल्क 200/- बैंक चार्ज (+10/- + जीएसटी)

नोट :- आवेदक द्वारा जमा की गयी शुल्क राशि वापस नहीं लौटायी जायेगी।

(H) आवेदन करने की प्रक्रिया :-

1. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र 29.08.2017 से ऑनलाईन (Online Application Form) आमंत्रित किये जायेंगे। जिन्हें विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 20.09.2017 निर्धारित है। अभ्यर्थी अन्तिम तिथि को सायं 5:00 बजे तक ई मित्र/सीएससी नेटवर्क के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करा सकेंगे तथा मध्यरात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन भरे जा सकेंगे।
2. आवेदन शुल्क व आनलाईन आवेदन पत्र भरने के निर्धारित शुल्क की राशि ई मित्र एवं पेमेन्ट गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग) के माध्यम से स्वीकार्य की जावेगी।
3. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुरूप आवेदन शुल्क ई मित्र के माध्यम से जमा करा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा कराते समय अभ्यर्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, मूल निवास आदि का वर्णन सादा पेपर पर अंकित कर ई मित्र पर प्रस्तुत करेगा। आवेदन शुल्क जमा कराने के उपरान्त कम्प्युटर द्वारा रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुरूप आवेदन शुल्क सीधे पेमेन्ट गेटवे (क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग) के माध्यम से जमा करा सकता है जिसकी रसीद ऑनलाईन जारी होगी।
4. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ ले जावे। (Image JPEG format Size 50kb-100kb)
5. अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर, आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image JPEG format Size 50kb-100kb)
6. जाति प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image Size 150kb-500kb)
7. जन्म तिथि हेतु दसवी की अंकतालिका या प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image Size 150kb-500kb)
8. बारहवी की अंकतालिका स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति, आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। (Image Size 150kb-500kb)
9. यदि निःशक्तजन है तो संबंधित प्रमाण पत्र, आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। निःशक्तता प्रमाण पत्र तीन वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। (Image Size 150kb-500kb)
10. यदि स्थायी विभागीय कर्मचारी है तो नियंत्रक अधिकारी से 5 वर्ष की सेवापूर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु सक्षम स्तर से ली गई पूर्वानुमति का प्रमाण पत्र आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड करेंगे। (Image Size 150kb-500kb)
फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करने से पूर्व स्वयं द्वारा जांच लिया जावे कि दस्तावेज स्वयं के है और सही है।
11. आवश्यक दस्तावेज (दसवी/बारहवी की अंकतालिका) स्वयं द्वारा जांच लिया जावे कि दस्तावेज स्वयं के है और सही है।

12. यदि सूचना में कोई परिवर्तन करना हो तो सबमिट बटन दबाने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि जो सूचना अंकित की गई है वह पूर्णतः सत्य है।
13. आवेदन पत्र ऑनलाईन सबमिट हो जाने के बाद एडिटिंग की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी विशेष रूप से यह नोट कर ले कि आवेदन शुल्क जमा कराने की रसीद में दर्ज विवरण ही ऑनलाईन आवेदन पत्र में स्वतः ही दर्ज होगा।
14. आवेदक आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रिन्ट आउट (हार्ड कॉपी) डाउनलोड कर लेवे तथा उसे अपने पास सुरक्षित रखे। ताकि विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर सके साथ ही आवेदक को आवेदन से संबंधित कोई भी दस्तावेज कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है।
15. अभ्यर्थी यह ध्यान रखे कि ऑनलाईन आवेदन पत्र के उपरान्त उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक उपलब्ध नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि आवेदन पत्र जमा (सबमिट) नहीं हुआ है।
16. ऑनलाईन आवेदन पत्र 29.08.2017 से निर्धारित अन्तिम तिथि 20.09.2017 तक भरे जा सकेंगे। इसके उपरान्त ऑनलाईन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। (विभाग को विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।)

नोट :-

1. ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर से डाउनलोड कर उसे ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व हाथ से भर ले, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र में वांछित समस्त सूचना अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः ही रद्द कर दिया जावेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
3. गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन पत्र में सुधार हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के पश्चात् कोई प्रार्थना पत्र/पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. जानबूझ कर भ्रामक सूचना देने अथवा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त करने के साथ - साथ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
5. अभ्यर्थी जिस श्रेणी वर्ग के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करे।

(I) फीस :-

‘राजकीय स्कूलों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसलिंग में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग के पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 180/- वार्षिक फीस राशि एवं निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश हेतु फीस पेटे 10,000/- रुपये अग्रिम राशि, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा उद्योग भवन, जयपुर के खाता संख्या 14630100006718 में पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नाम से जमा कराना अनिवार्य है। शेष राशि आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति के समय मूल दस्तावेजों के साथ जमा करानी होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रवेशार्थी/प्रवेशार्थी के संरक्षक द्वारा प्रस्तुत करना होगा कि राजकीय निर्णय अनुसार शुल्क में जो वृद्धि की जावेगी, उस शुल्क के अन्तर की राशि उसके द्वारा जमा करा दी जावेगी।

निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिये फीस 50,000/- वार्षिक अधिकतम तथा छात्रावास (निवास की स्थिति में) शुल्क के रूप में सिंगल बैडेड रुम रुपये 15,000/- अधिकतम, डबल बैडेड रुम रुपये 12,000/- अधिकतम व ट्रिपल बैडेड रुम रुपये 10,000/- अधिकतम निर्धारित है।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2017-18

में प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप

भाग - अ

स्वयं का पासपोर्ट साईज का हस्ताक्षरित फोटो स्कैन कर अपलोड करे।

कृपया अपने से संबंधित बॉक्स पर (✓) का चिन्ह अंकित करे।

- सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा में अभ्यर्थी का ऐच्छिक विषय (फैकल्टी) साइन्स (बॉयलोजी ग्रुप) () अन्य विषय ग्रुप ()
(उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की प्रति अपलोड करे।)
- आवेदक का वर्ग :- महिला () पुरुष ()
- अभ्यर्थी का जाति वर्ग :-
सामान्य () अनुसूचित जाति () अनुसूचित जनजाति ()
अन्य पिछडा वर्ग () टीएसपी अनुसूचित जनजाति () टीएसपी अनुसूचित जाति ()
सहरिया ()
(जाति प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
- क्या अभ्यर्थी निःशक्तजन (ओ.एल) श्रेणी में प्रवेश का पात्र हैं :- हा () नहीं ()
(केवल एक पैर से विकलांग ही पात्र होंगे प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
- यदि विभागीय राज्य कर्मचारी है तो किस श्रेणी में पात्रता रखता है :-
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) अन्य कर्मचारी ()
(आवेदन पत्र का भाग 'स' भरना अनिवार्य है। इसके अभाव में आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य होगा। प्रशासनिक अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करे।)
- रसीद नम्बर दिनांक राशि (रूपये)
(ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन)

भाग - ब

- अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)
- पिता का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)
- पति का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)
- जन्म तिथि / /
(दसवी की अंकतालिका की प्रति अपलोड करे।)
- दिनांक 31.12.2017 को आयु वर्ष माह दिन
- शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.स.	सीनियर सैकण्डरी या समकक्ष	बोर्ड/ विविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

- वर्तमान पता
..... जिला राज्य
- स्थायी पता
..... जिला राज्य
- मोबाईल न.

हस्ताक्षर आवेदक

भाग - स

(केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए)

1. नाम अभ्यर्थी
2. पदनाम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम)
3. संवर्ग में नियमित नियुक्ति तिथि
4. वर्तमान पदस्थापन स्थान
5. जन्म दिनांक/...../.....

अन्य कर्मचारी ()

हस्ताक्षर आवेदक

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी ने विभाग में पांच वर्ष की नियमित (स्थायी) सेवा पूर्ण कर ली है।

हस्ताक्षर

(नियंत्रण/प्रशासनिक अधिकारी)

मय कार्यालय मोहर

भाग - द घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य है, तथा मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। मेरे द्वारा दिये गये विवरण असत्य/त्रुटिपूर्ण/भ्रामक पाये जाने पर मेरा आवेदन/प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। जिसके लिए मैं कोई आपत्ति नहीं करूँगा/करूँगी।

संलग्न :- प्रमाणित प्रतिलिपि का विवरण :-

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर आवेदक

नोट :- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र स्पष्ट/पूर्ण रूप से भरा हुआ तथा स्व-हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र निरस्तनीय होगा।